राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान, जयपुर।

कमांक:/राजपत्रित/सामान्य/10/795 दिनांक:– 26/11/10

1, मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी (समस्त)

______राजस्थान______

2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)

______राजस्थान______

विषयः– नव स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले चिकित्सकों विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव के संबध में।

संदर्भः– राज्य सरकार के आदेश प.1(1) चिस्वा/ग्रुप–2/2010 दिनांक 04/11/10 के कम में।

---::---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा प्रशासनिक कारणों से चिकित्सकों का स्थानान्तरण आपके अधीन संस्थान में किया गया था। निर्धारित अवधि में जिन चिकित्सकों द्वारा अपने नवीन स्थानान्तरित /पदस्थापन स्थान पर आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया जो राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण नहीं करने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत् कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कार्मिक विभाग के नवीनतम परिपत्रानुसार आरोप पत्र, विवरण पत्र परिशिष्ठ अ,ब,स,द, व अभिलेख सूची पांच प्रतियों में तथा आरोपों को सिद्ध करने वाले प्रमाणित अभिलेख दो सैट में तैयार कर विशेष पत्र वाहक के साथ दिनांक 02/12/10 तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भिजवायें।

इसे उच्च प्राथमिकता देवें।

कमांक 795
26/11/10

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपीः–

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक–समस्त (राजस्थान) को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के उक्त आदेशों के संदर्भ में संलग्न सूची के अनुसार चिकित्सकों ने आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया है का सेवा अभिलेख अभी तक आपके कार्यालय में होने के कारण पत्र में उपरोक्त वर्णितानुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित चिकित्सक के संबंध में परिपत्र–'द' तैयार कर विशेष पत्र वाहक के साथ दिनांक 02/12/10 तक निम्नहस्ताक्षर कर्ता को भिजवाये। इसे उच्च प्राथमिकता देवें।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर